सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
## गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024/335 दर्ज तिथिः—06.08.2024

1. धना पुत्र भोमा
   जाति माली निवासी मालियो की ढाणी, नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.................. प्रार्थीगण

**बनाम**

1. नीम्बा पुत्र भोमा
2. उदा पुत्र प्रेमा
3. वोहता पुत्र प्रेमा
4. कृष्ण कुमार पुत्र रूगनाथराम
5. नरपत कुमार पुत्र रूगनाथराम
6. रूगनाथराम पुत्र वीरमा
7. गणपतलाल पुत्र नरसिगाराम
8. नरसिगाराम पुत्र वरदाराम
9. मदाराम पुत्र नरसिगाराम
10. शंकरलाल पुत्र नरसिगाराम
11. हाजाराम पुत्र नरसिगाराम
    जाति माली निवासी मालियों की ढाणी नगर गुडामालानी
12. केवाराम पुत्र भाना
13. छगनाराम पुत्र भाना
14. नरसीराम पुत्र भाना
15. नीम्बा पुत्र भूरा
16. सगरती देवी पत्नि भाना
17. इन्द्रपाल पुत्र उम्मेदाराम
18. चन्दाराम पुत्र किस्तुराराम
19. डायाराम पुत्र किस्तुराराम
20. भवराराम पुत्र किस्तुराराम
21. महिपाल पुत्र किस्तुराराम
22. रीडमलराम पुत्र किस्तुराराम
23. सुरताराम पुत्र किस्तुराराम
24. हीरा पुत्र उम्मेदाराम
    जाति मेघवाल निवासी धांधलावास नगर तहसील गुडामालानी
25. केर्यन इण्डिया लिमिटेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:11:00 IST
Reason: SelfAttested

26. शाखा प्रबन्धक एस0 बी0 आई0 बैंक शाखा गुडामालानी
27. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुडामालानी
28. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

...................... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री जगदीश विश्नोई।
अप्रार्थीगण – एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

## –:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 223/145/0.8498 है0 वाके ग्राम धांधलावास तथा हाल आराजी खसरा संख्या 120/14/1.4731 है0 वाके ग्राम रावलीनाडी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेशांक दिनांक 14.05.2024 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.07.2024 को आराजी खसरा संख्या 223/145/0.8498 है0 वाके ग्राम धांधलावास तहसील गुडामालानी तथा दिनांक 21.06.2024 को हाल आराजी खसरा संख्या 120/14/1.4731 है0 वाके ग्राम रावलीनाडी के मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 21.06.2024 एवं 02.07.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 21.06.2024 एवं 02.07.2024 के सीमांकन के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश [illegible] का निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट/[illegible]24/[illegible]58 दिनांक 08.08.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित [illegible]लिस्ट में तै[illegible] करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:11:00 IST
Reason: SelfAttested

में पटवार हल्का नगर ने दिनांक 28.08.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.****—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

4. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

5. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी ग्राम धांधलावास सम्वंत 2075—2078 एवं ग्राम रावलीनाडी सम्वंत 2076—2079 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम सोढों की ढाणी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 21.06.2024 एवं 02.07.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी के खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:11:00 IST
Reason: SelfAttested

तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या आराजी खसरा संख्या 223/145/0.8498 है0 वाके ग्राम धांधलावास तहसील गुडामालानी तथा हाल आराजी खसरा संख्या 120/14/1.4731 है0 वाके ग्राम रावलीनाडी पटवार हल्का नगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 17.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.03 22:11:00 IST
Reason: SelfAttested